झारखण्ड सरकार
निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग।

पत्रांक –5/प्रशि0(प्रशि0)–01/2022 - 835 रॉंची, दिनांक 12/7/2022

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र 2022–23–24 में नामांकन लिये जाने से संबंधित विस्तृत महत्वपूर्ण सूचना

निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, रॉंची द्वारा सूचित किया जाता है कि शैक्षणिक सत्र–2022–23–24 में NCVT/SCVT से मान्यता प्राप्त राज्य के सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु उम्मीदवारों का चयन प्रत्येक व्यवसाय के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर तैयार मेरिट लिस्ट से निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के webportal – https://iti.jharkhand.gov.in के admission module द्वारा किया जायेगा। आवेदकों के 8वीं एवं 10वीं कक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर क्रमशः तैयार की गयी मेधा–सूचियों से राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन किया जा रहा है।

क) **ऑनलाईन आवेदन** शैक्षणिक सत्र 2022–23–24 में NCVT/SCVT से मान्यता प्राप्त राज्य के सभी सरकारी (LWE सहित)/निजी/टी0एस0पी0/सी0एस0आर0/पी0पी0पी0 मोड पर संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु आवासीय, शैक्षणिक, शारीरिक, आयु–सीमा से संबंधित निर्धारित अर्हता धारित करने वाले ईच्छुक आवेदकों से ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। आवेदक निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, रॉंची के वेबपोर्टल https://iti.jharkhand.gov.in के Admission Module पर सर्वप्रथम menu के Admission Tab को click करें तथा उसके बाद Register (New Applicant) में click करके स्वयं को Register करें। Register करने के बाद login करें। 'Applicant login' में Application no. एवं Password डालें। इसके बाद Personal Details, Photo & Signature भरें। 'Fee' में click कर आवेदन शुल्क जमा करें। दिये गये दिशा–निर्देशों का अनुपालन करते हुए दिनांक 14.07.2022 से दिनांक 29.07.2022 अपराह्न 5:00 बजे तक ऑनलाईन आवेदन भरते समय आठवीं (8वीं) एवं /या दसवीं (10वीं) कक्षा का अंक पत्र (PDF Form में) तथा स्कैन किया हुआ पासपोर्ट साईज का अपना रंगीन फोटोग्राफ, जिसमें चेहरे के साथ–साथ दोनों कान स्पष्ट रूप से दिखाई देता हो तथा जो संपादित (Edited) नहीं हो तथा हस्ताक्षर Submit करें (फोटो तथा हस्ताक्षर JPEG or PNG Format में होना चाहिए)।

ख) आवेदन शुल्क :–

आवेदन शुल्क के रूप में सामान्य/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/पिछड़ी जाति–I/पिछड़ी जाति–II कोटि के आवेदकों को रू0 300/– एवं अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति कोटि/ सभी कोटि

835
12/7/2022

की महिला आवेदकों को रू0 150/- Payment Gateway के माध्यम से Credit Card/Debit Card/ Net Banking/UPI के द्वारा जमा करना अनिवार्य होगा, जो अप्रतिदेय (Non- refundable) होगा। दिव्यांग आवेदको को आवेदन शुल्क देय नहीं है।

आवेदकों द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में प्रविष्ट की गई प्राप्तांक/प्राप्तांक प्रतिशत/CGPA को प्राप्तांक प्रतिशत में बदलने के पश्चात् प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर कक्षावार राज्य मेधा-सूचियाँ जारी की जायेगी।

मेधा सूचि/नामांकन में दिये जाने वाले प्राथमिकता निम्न होंगे :-

उम्मीदवारों का प्राप्तांक % सामान होने पर

1. जन्म तिथि को प्राथमिकता दी जायेगी।
2. जन्म तिथि सामान होने पर उम्मीदवारों के नाम के अक्षरों के अंग्रेजी **alphabetical arrangement** के अनुसार प्राथमिकता दी जायेगी।
3. जन्म तिथि एवं नाम के अंग्रेजी **alphabetical arrangement** सामान होने पर जो पहले आवेदन करेगें, उन्हें प्राथमिकता दी जायेगी।

किसी भी तरह की त्रुटियों/विसंगतियों की स्थिति में आवेदक स्वयं इसके लिये जिम्मेवार होंगे।

3. आवासीय अर्हत्ता :-

झारखण्ड राज्य के स्थायी निवासी या स्थानीय निवासी की श्रेणी में आने वाले आवेदक ही औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन के लिये पात्र समझे जायेंगे। झारखण्ड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना ज्ञापांक-7/आ0नीति (सर्वदलीय बैठक)27/2002 (खण्ड) का0-3198, दिनांक 18.04.2016 एवं पत्रांक-14/विविध 15-22/2019 का0-5752, दिनांक 19.07. 2019 में स्थानीय निवासी को परिभाषित किया गया है। सुलभ प्रसंग हेतु उक्त अधिसूचना की प्रति निदेशालय के वेबसाइट https://iti.jharkhand.gov.in के Download Section तथा Admission Tab के Homepage से Download किया जा सकता है। आवेदकों को अपने दावे के समर्थन में सक्षम पदाधिकारी (अंचलाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी/उपायुक्त) द्वारा निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र की मूल प्रति नामांकन के समय संस्थान में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

4. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :-

क) सीट मेटल वर्कर, वायरमैन, मेशन (बिल्डिंग कन्सट्रक्टर), पलम्बर, वेल्डर, वेल्डर (GMAW & GTAW), वेल्डर (Fabrication & Fitting), सीविंग टेक्नोलॉजी, कारपेन्टर, सर्फेस आर्नामेंटेशन टेकनिक्स एवं वीबिंग टेकनीशियन फॉर सिल्क एण्ड वुलन फैब्रिक्स व्यवसायों में नामांकन के लिए

835
12/7/2022

आवेदक को आठवीं (8वीं) कक्षा में उर्तीणता आवश्यक है।

ख) उपरोक्त कंडिका में अंकित व्यवसायों को छोड़कर शेष अन्य सभी व्यवसायों में नामांकन के लिए आवेदक को दसवीं (10वीं) कक्षा में उर्तीणता आवश्यक है। व्यवसाय एवं शैक्षणिक योग्यता विभाग के वेबपोर्टल के download section या Admission Tab के Homepage से download किया जा सकता है (इसे DGT के website-dgt.gov.in/cts_details में भी देखा जा सकता है)। सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान LWE का व्यवसाय सूची विभाग के वेबपोर्टल के download section से download किया जा सकता है।

5. शारीरिक योग्यता :–

नामांकन के लिए अनुशंसित अभ्यार्थियों को संबंधित संस्थान में नामांकन के समय, निबंधित चिकित्सक द्वारा निर्गत स्वस्थता चिकित्सा प्रमाण –पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदक की अस्वस्थता की स्थिति में उनका नामांकन नहीं किया जायेगा।

6. आयु अहर्ता:–

(क)– 01.07.2022 को आवेदक की न्यूनतम आयु 14 वर्ष एवं अधिकतम आयु 40 वर्ष के बीच होना चाहिए। मेकेनिक मोटर व्हीकल व्यवसाय हेतु न्यूनतम आयु 17 वर्ष होना चाहिए।

(ख)– दिव्यांग जनों/सैन्य कार्रवाई में मारे गये सैन्य कर्मियों के विधवाओं के मामले में अधिकतम आयु 45 वर्ष तक है।

आयु की गणना माध्यमिक/10वीं/ समकक्ष परीक्षा के मूल/ औपबंधिक प्रमाण–पत्र तथा आठवीं (8वीं) स्तर के व्यवसायों के लिये प्रधानाध्यापक द्वारा निर्गत उत्तीर्णता प्रमाण–पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जायेगी।

7. आरक्षण :–

(क) आरक्षण का प्रावधान कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, राँची के संकल्प संख्या–2020 दिनांक 09.04.2010 (जिला आरक्षण रोस्टर) एवं ज्ञापांक– 14/आ०नी0–04–02/2019 का0– 1434/ राँची, दिनांक 15.02.19 का अनुपालन किया जायेगा। सुलभ प्रसंग हेतु उक्त संकल्प एवं ज्ञापांक की प्रति निदेशालय के वेबसाइट https://iti.jharkhand.gov.in के Download Section तथा Admission Tab के Homepage से Download किया जा सकता है। साथ ही कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्र का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

आरक्षित सीटों पर दावा करने वाले उम्मीदवारों को सक्षम पदाधिकारी (अंचलाधिकारी / अनुमण्डल पदाधिकारी / उपायुक्त) द्वारा निर्गत जाति प्रमाण–पत्र की मूलप्रति संस्थान में नामांकन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(ख) सेवारत सैनिकों /भूतपूर्व सैनिकों/वीरगति प्राप्त सैनिकों के आश्रितों (किसी भी वर्ग के) के लिए सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रत्येक व्यवसाय में एक सीट आरक्षित है।

(ग) दिव्यांगों के लिए प्रत्येक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रत्येक व्यवसाय में 5 प्रतिशत सीट आरक्षित है।

(घ) आदिम जनजाति समुदायों के अभ्यार्थियों के आरक्षण के लिए कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, राँची के ज्ञापांक–14/जा0नि0–03–04/2016 का0 5555/राँची, दिनांक 28.06. 2016 का अनुपालन किया जाएगा। संकल्प के अनुसार अनुसूचित जनजाति कोटि के लिये निर्धारित सीटों में से न्यूनतम 2% सीटें आदिम जनजाति समूह के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित है, बशर्ते कि वे आवश्यक न्यूनतम अर्हता को पूरा करते हों तथा अनुसूचित जनजाति कोटि की मेधा –सूची में स्वतः नहीं आते हो। यह आरक्षण अनुसूचित जनजाति कोटि के आरक्षण में क्षैतिज रूप से उपलब्ध होगा। सुलभ प्रसंग हेतु उक्त ज्ञापांक की प्रति निदेशालय के वेबसाइट https://iti.jharkhand.gov.in के Download Section तथा Admission Tab के Homepage से Download किया जा सकता है।

(ड.) अत्यत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2) के अभ्यर्थियों को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के ज्ञापांक–7/जाति–19–11/2008 का0–10007 दिनांक 29.08.2012 के आलोक में "क्रीमी लेयर" अवधारणा के समावेश संबंधित प्रपत्र में ही जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा। उक्त ज्ञापांक की प्रति निदेशालय के वेबसाइट https://iti.jharkhand.gov.in के Download Section तथा Admission Tab के Homepage से Download किया जा सकता है।

(च) " आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग " के अभ्यार्थियों को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प ज्ञापांक – 14/आ0नी0–04–02/2019 का0–1434/राँची, दिनांक 15.02.2019 का अनुपालन करना होगा। उक्त संकल्प ज्ञापांक की प्रति निदेशालय के वेबसाइट https://iti.jharkhand.gov.in के Download Section तथा Admission Tab के Homepage से Download किया जा सकता है।

8. सैनिक कोटा आरक्षण :–

सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रत्येक व्यवसाय में सैन्य कर्मियों (किसी भी वर्ग) के लिए एक सीट आरक्षित है।

सैनिक कर्मचारी कोटा के अन्तर्गत निम्न को आरक्षण दिया जायेगा :–

855
12/7/2022

1. सेवारत सैनिकों के आश्रितों।
2. भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों।
3. वीरगति प्राप्त सैनिकों के आश्रितों।

सैनिक कोटा हेतु आरक्षित सीटों की सुविधा प्राप्त करने हेतु सेवारत सैनिकों /भूतपूर्व सैनिकों / वीरगति प्राप्त सैनिकों के आश्रितों /विधवाओं के लिए निम्नांकित प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति नामांकन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है :–

(i) झारखंड राज्य के अंचलाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी (असैनिक)/उपायुक्त द्वारा निर्गत स्थायी/स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र।

(ii) सक्षम सैनिक अधिकारी द्वारा निर्गत आश्रित प्रमाण–पत्र (सेवारत सैनिक कर्मियों / अधिकारियों के लिये) या जिला सैनिक परिषद द्वारा निर्गत आश्रित प्रमाण–पत्र (भूतपूर्व सैनिकों / वीरगति प्राप्त सैनिकों के आश्रितों के लिये)।

(iii) सेवा मुक्ति प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो)/पेंशन बुक।

9. दिव्यांगों हेतु आरक्षण :–

निःशक्त अभ्यर्थियों (दिव्यांग–जन) के आरक्षण के लिए कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, राँची के ज्ञापांक–14/आ0नी0–04–05–2016 का0 2249/राँची दिनांक 03.04.2018 का अनुपालन किया जायेगा। उक्त ज्ञापांक की प्रति निदेशालय के वेबसाइट https://iti.jharkhand.gov.in के Download Section तथा Admission Tab के Homepage से Download किया जा सकता है। सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रत्येक व्यवसाय में दिव्यांगों (किसी भी वर्ग) के लिये 5% सीट आरक्षित है। दिव्यांग का अभिप्राय होगा वैसे उम्मीदवार जो (क) अंधापन और कम दृष्टि या ख) बहरापन एवं श्रवण निः शक्तता या ग) चलन निःशक्तता जिसमें सम्मिलित है सेरेब्रल पॉल्सी, कुष्ट रोग मुक्त, बौनापन, आमलीय आक्रांत से पीड़ित मांसपेशीय दूर्विकास या घ) स्वलीनता, बौद्धिक निःशक्तता, सीखने की विशेष अक्षमता एवं मानसिक रोगी या ङ) बहु निःशक्तता जो क) से घ) के बीच में निःशक्तता के विभिन्न से स्थितियों के मिलने से हो, यह स्थिति अंधापन एवं बहरापन के मिलने से आ सकता है, के कारण कम से कम 40 प्रतिशत आंशिक असमर्थ हो। दिव्यांगों को संस्थान में नामांकन के समय एक फुल साईज का अपना फोटो तथा चिकित्सा बोर्ड के सदस्यों द्वारा निर्गत एवं चिकित्सा अधीक्षक /मुख्य चिकित्सा अधिकारी /अस्पताल के मुखिया द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित दिव्यांगता प्रमाण–पत्र की मूल प्रति लाना होगा। दूसरे किसी चिकित्सकों के प्रमाण पत्र की मान्यता नहीं दी जायेगी। ऑनलाईन आवेदन में दिव्यांग के प्रकार एवं दिव्यांगता % को भरें।

835
12/7/2022

10. **मेधा सूची** :–

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन के लिये दो प्रकार की मेधा सूचियों का निर्माण निम्नरूपेण किया जायेगा :–

क) आठवीं कक्षा स्तरीय मेधा सूची :–

जिन व्यवसायों में नामांकन के लिये निर्धारित शैक्षणिक योग्यता 8वीं कक्षा में उत्तीर्णता है, उसके लिये मेधा सूची का निर्माण आठवी (8वीं) कक्षा में प्राप्तांक के आधार पर किया जायेगा। दो या दो से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक समान होने के स्थिति में जिनका जन्म तिथि पहले होगा अर्थात् जो उम्र में बड़े होगें उन्हें मेधा–क्रम में वरीयता दी जायेगी। इसके बावजूद भी अगर स्थिति समान रहती है तो उम्मीदवारों के प्रथम नाम के अंग्रेजी वर्णानुक्रमानुसार वरीयता दी जायेगी। इसके बावजूद जन्म तिथि एवं नाम के अंग्रेजी वर्णानुक्रमानुसार समान होने पर जो पहले आवेदन form भरेगें, को प्राथमिकता दी जायेगी।

ख) दसवीं कक्षा स्तरीय मेधा सूची :–

जिन व्यवसायों में नामांकन के लिये निर्धारित शैक्षणिक योग्यता 10वीं कक्षा में उत्तीर्णता है, उसके लिये मेधा सूची का निर्माण, दसवीं (10वीं) कक्षा में प्राप्तांक के आधार पर किया जायेगा। दो या दो से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक समान होने के स्थिति में इनके मेधा–क्रम के निर्धारण में उपरोक्त कंडिका 10 (क) की प्रक्रिया का ही अनुसरण किया जायेगा।

10वीं कक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवार आठवीं (8वीं) कक्षा स्तरीय व्यवसायों के साथ–साथ दसवीं (10वीं) कक्षा स्तरीय व्यवसायों में नामांकन के लिए योग्य समझे जायेंगे। यदि ऐसे उम्मीदवार दसवीं (10वीं) कक्षा के साथ–साथ आठवीं (8वीं) कक्षा स्तरीय व्यवसायों में से किसी व्यवसाय में नामांकन के लिये ईच्छुक है तो इसके लिये उन्हें ऑन–लाईन आवेदन पत्र में आठवी (8वीं) तथा दसवीं (10वीं) दोनों कक्षा में प्राप्तांक अवश्य भरा जाय ताकि उनका मेधा क्रमांक दोनो मेधा –सूचियों में अंकित किया जा सकें। उम्मीदवारों से इसके लिये आवेदन शुल्क के रूप में कोई अतिरिक्त राशि नहीं ली जायेगी। प्रथम काउन्सीलिंग तक 8वीं स्तर के व्यवसायों में पहले 8वीं कक्षा वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जायेगी। इसके उपरान्त 10वीं कक्षा वाले उम्मीदवारों को सीट आवंटित की जायेगी।

11. आवेदकों को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं व्यवसाय के चयन करने का विकल्प दिया जायेगा। आवेदक इच्छानुसार अनेक संस्थान एवं अनेक व्यवसाय का चयन कर सकते हैं।

12. आवेदकों द्वारा आवेदन करने के पश्चात मेरिट लिस्ट के अनुसार ऑनलाईन काउन्सीलिंग किया जायेगा। प्रथम काउन्सीलिंग सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क होगा। द्वितीय काउन्सीलिंग के लिए शुल्क देय होगा।

13. द्वितीय काउन्सीलिंग के लिए आवेदकों को पुनः इच्छानुसार संस्थान एवं व्यवसाय का चयन करना होगा।

14. आवेदकों को काउन्सीलिंग के उपरान्त सभी दस्तावेजों के मूल प्रति एवं छायाप्रति तथा फोटो के साथ संबंधित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में नामांकन हेतु उपस्थित होना होगा।

उप निदेशक प्रशिक्षण (मु0)
निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :- 5/प्रशि0(प्रशि0)-01/2022 - 835 राँची, दिनांक 12/7/2022

प्रतिलिपि :- सचिव के आप्त सचिव, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ।

2 माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ।

उप निदेशक प्रशिक्षण (मु0)
निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण,
झारखण्ड, राँची।